जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

क्या है पीआईडीपीआई?

- पीआईपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है
- पीआईडीपीआई के अंतर्गत दर्ज सभी शिकायतों के शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है

पीआईडीपीआई के तहत शिकायत कैसे दर्ज की जाती है?

- शिकायतों को सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए और लिफाफे के ऊपर "पीआईडीपीआई" लिखा जाना चाहिए
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे के ऊपर नहीं बल्कि बंद लिफाफे के अंदर प्रेषित किए गए पत्र में लिखा जाना चाहिए

शिकायतकर्ता की पहचान की गोपनियता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश

- ऐसी शिकायतें जो व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबन्धित हो या अन्य प्राधिकारियों को संबोधित करती हों, तो ऐसी स्थिति में पहचान का प्रकटीकरण हो सकता है.
- शिकायतें खुले रूप से (ओपन कंडीशन)/ सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए
- ऐसे दस्तावेज़ जिनसे पहचान का प्रकटीकरण हो सकता है उन्हें शिकायत के साथ संलग्न नहीं किया जाना चाहिए. उदाहरणार्थः आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज़
- पुष्टीकरण के उद्देश्य हेतु शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे के अंदर प्रेषित किए गए पत्र में लिखा जाना चाहिए
- शिकायतें जिनका पुष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, उनको बंद कर दिया जाता है
- गुमनाम/ छद्मनाम वाले पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए
https://www.cvc.gov.in पर जाएं.